

निबंधित

संचिका संख्या-ए0/नोट-21/15.....6104/जे0,

विधि विभाग

बिहार सरकार

प्रेषक,

मनोज कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

सेवा में,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

नवादा।

पटना, दिनांक-14-09-15

विषय:- नोटरी के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को मूल में वापस लौटाने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंग में कहना है कि आपके न्यायमंडल में कार्यरत अधिवक्ताओं से नोटरी के पद पर नियुक्ति हेतु आपके द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्रों में से निम्नांकित आवेदन पत्रों को त्रुटिपूर्ण रहने के कारण मूल में लौटाया जाता है। प्रत्येक आवेदन पत्र में त्रुटि से संबंधित सूची संलग्न है। इस संबंध में लौटाये जा रहे आवेदन पत्रों को संबंधित अधिवक्ताओं को भेजते/प्राप्त कराते हुए इन्हें कृपया निदेशित किया जाय कि वे संबंधित त्रुटियों को दूर कर आपके माध्यम से आवेदन पत्र को आपके कार्यालय में प्राप्ति तिथि से 15 दिन के अन्दर त्रुटि सुधार कर आपके कार्यालय में प्राप्त कराये जिसे आपके कार्यालय द्वारा शीघ्र विधि विभाग को समय सीमा के अन्दर स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कराया जाय अन्यथा उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत समझा जायेगा तथा बाद में प्राप्त किसी आपत्ति/अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

इस संबंध में आवश्यक सूचना विधि विभाग के वेबसाइट-www.law.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है।

अनु0:- संलग्न सूची एवं आवेदन पत्र।

विश्वासभाजन



(मनोज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।  
21/9/15

- जिला-नवादा

शुद्धिपूर्ण आवेदन पत्रों की सूची

| क्र०सं० | आवेदक का नाम व पता                                                                                              | विभाग में आवेदन प्राप्ति की तिथि | त्रुटि                                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                               | 3                                | 4                                                                                                               |
| 1.      | श्री उदय कान्त प्रसाद,<br>व० श्री शंकर महथा, ग्रा० सोहजना,<br>पो० शिसवान, जिला नवादा।                           | 01.02.2011                       | राष्ट्रीयकृत बैंक के मैनेजर का हस्ताक्षर व मोहर नहीं है।                                                        |
| 2.      | श्री वामेश्वर मिश्रा,<br>व० स्व० मथुरा मिश्रा,<br>ग्रा०+पो०-अरौड़ी, थाना-पकरी बरावाँ,<br>जिला नवादा।            | 28.12.2010                       | राष्ट्रीयकृत बैंक के मैनेजर का हस्ताक्षर व मोहर नहीं है। साथ ही एक ही ख्यातिप्राप्त व्यक्ति का हस्ताक्षर है।    |
| 3.      | श्री संजय कुमार वर्मा,<br>व० श्री किशोर प्रसाद सिंह,<br>ग्रा०-सतौआ, पो० आदमपुर, गिरिधर,<br>जिला नालन्दा, बिहार। | 17.08.2011                       | आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में नहीं है। आवेदन पत्र पर दंडाधिकारी/बैंक प्रबंधक/व्यापारी का हस्ताक्षर/मुहर नहीं है। |